

निदेशालय

॥ गृह रक्षा, राजस्थान ॥

जलेब चौक, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फैक्स : 0141-2603407, ई-मेल : sso1raiHQ@hotmail.com

Website : <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

क्रमांक: गृरमु/स्था/ई-1 () 2017/16118-22 दिनांक: 26/6/19

:- आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प. 5 (8) गृह-7/2010 दिनांक: 09.11.2010 द्वारा 50 आरक्षी वाहन चालक एवम् समसंख्यक पत्र दिनांक: 13.06.2013 द्वारा 06 आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध सेवायें लिये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्यालय आदेश क्रमांक: 7403-43 दिनांक: 03.04.2019 का अतिक्रमण करते हुए आरक्षी एवम् आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध (कुल 50 + 06 = 56) शहरी एवम् ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन हेतु निम्नलिखित कार्यालयों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार ऑक्टन किया जाता है :-

क्र. सं.	ईकाई का नाम	आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक/वाहन चालक के रिक्त पदों पर लगाये जाने वाले स्वयं सेवकों की संख्या
1.	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	10
2.	केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, जयपुर	23
3.	एम. टी. शाखा, मुख्यालय, जयपुर	23
	योग :	56

यह आदेश दिनांक: 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

ई.ओ.बी.न. 153

(यू. आर. साहू),
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

:: प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर।
3. प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी, एम.टी. शाखा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. ई.ओ.बी.।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

निदेशालय

॥ गृह रक्षा, राजस्थान ॥

जलेब चौक, जयपुर।

फोन :- 0141-2612591, फॅक्स :- 0141-2603407, ई-मेल :- sso1raiha@hotmail.com

Website :- <http://rajasthanhomeguards.gov.in/>

कमांक: गृरमु/स्था/ई-1 () 2017/16076-117 दिनांक: 26/6/19

:- आ दे श -:

राज्य सरकार के पत्र कमांक: प. 5 (8) गृह-7/2010 दिनांक: 20.06.2019 द्वारा विभाग में आरक्षी के रिक्त पदों के विरुद्ध 65 गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नियोजन की दिनांक: 01.07.2019 से 29.02.2020 या नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए अधीनस्थ कार्यालय को माह में 26 दिवस नियोजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।


अतः मुख्यालय आदेश कमांक: 6863-6904 दिनांक: 29.03.2019 का अतिक्रमण करते हुए आरक्षी के रिक्त पदों के विरुद्ध 65 गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन निम्न अधीनस्थ कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख दिनांक: 01.07.2019 से 29.02.2020 तक करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियोजन माह में 26 दिवस से अधिक नहीं होना चाहिए। (प्रत्येक स्वयं सेवक को साप्ताहिक अवकाश देय होगा)

क्र. सं.	ईकाई का नाम	आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक/वाहन चालक के रिक्त पदों पर लगाये जाने वाले स्वयं सेवकों की संख्या
1.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	01
2.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर	02
3.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर	01
4.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	01
5.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर	01
6.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बाँरा	01
7.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बूंदी	01
8.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भीलवाड़ा	01
9.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बाँसवाड़ा	01
10.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चूरु	01
11.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, चित्तौड़गढ़	01
12.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, धौलपुर	01
13.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर	01
14.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, दौसा	01
15.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, गंगानगर	01
16.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, हनुमानगढ़	01

17.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जैसलमेर	01
18.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर	01
19.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर	21
20.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जालौर	01
21.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झालावाड़	01
22.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, झुंझुनूं	01
23.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, करौली	01
24.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	02
25.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर	01
26.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली	01
27.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रतापगढ़	01
28.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द	01
29.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सिरौही	01
30.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई मधोपुर	01
31.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर	01
32.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक	01
33.	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर	02
34.	सीमा गृह रक्षा दल, बाड़मेर	01
35.	सीमा गृह रक्षा दल, बीकानेर	02
36.	सीमा गृह रक्षा दल, गंगानगर	04
37.	सीमा गृह रक्षा दल, जैसलमेर	02
	योग :	65

यह आदेश दिनांक: 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

ई.ओ.बी.न. 152



(यू. आर. साहू),


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,

गृह रक्षा, राजस्थान,

जयपुर।

:: प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु -:

1. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
3. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
4. प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी, एम.टी. शाखा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. ई.ओ.बी.।



अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,

गृह रक्षा, राजस्थान,

जयपुर।